


को पेश हो।  
(Reader)

5.6.24

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित  
वकील वादी पत्रावली को आगे नहीं चलाना  
चाहते एवं न्यायालय कि जी जर्न आवेवाही  
से सन्तुष्ट है, वकील वादी द्वारा पत्रावली  
नोट प्रेस करने का निवेदन किया। वकील  
वादी द्वारा नोट प्रेस किया जाने के अधिकार  
पर वाद स्वारिज किया जाता है। पत्रावली  
कैसल नुमार होकर दफ्तर दाखिल होवे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
सीमलवाडा